File No: NACIN/II/13/19/2020-TRNG-O/o ADG-NACIN-ZC-HYD



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी,आंचलिक परिसर, हैदराबाद प्रथम तल, कृष्ण ब्लॉक, डॉ॰ एम सी आर एच आर डी आई टी, रोड नं॰ 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद - 500 033

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS, ZONAL CAMPUS, HYDERABAD, 18T FLOOR, KRISHNA BLOCK, DR.MCRHRDIT, ROAD NO.25, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 500 033

E-mail: adg.nacin-hyd@gov.in

Phone: 040-29885310 to 13

Fax: 040-29885314

CIRCULAR

Dated: | .04.2022

सेवा में,

सभी केन्द्रीय कर के प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त सभी सीमा शल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त

सभी निदेशालयों के प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक

To

The Pr. Chief Commissioners / Chief Commissioners of Central Tax (All)

The Pr. Chief Commissioners / Chief Commissioners of Customs (All)

The Pr. Director General / Director General of Directorates (All)

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

विषय: इस कार्यालय में प्रतिनियक्ति के आधार पर काम करने हेत् इच्छक निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों के आवेदन की सीमा अवधि को आगे बढ़ाने के संबंध में:

Sub: Inviting applications for willing officers in Inspector Cadre to work on deputation basis in this office - extension of timeline - Reg.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 31.01.2022 के प्रतिनियक्ति परिपत्र का संदर्भ लें।

Kind reference is invited to this office deputation circular dated 31.01.2022, on the above subject.

- इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इच्छुक और पात्र अधिकारियों के एपीएआर ग्रेडिंग, अनापत्ति प्रमाण पत्र और सतर्कता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22.04.2022 तक बढ़ा दी गई है।
- In this regard, it is to inform that the last date of receiving applications of interested and eligible officers along with APAR grading, no objection certificate and vigilance certificate is extended up to 22.04.2022.

इसे अपर महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Additional Director General.

भवदीय/Yours faithfully,

(डॉ. मंजला डी होसमानी/ Dr. Manjula D. Hosmani)

अपर निदेशक/ADDITIONAL DIRECTOR